न्यायालय उपजिला कलक्टर लालसोट जिला दौसा

घनश्याम आदि बनाम् रामफूल आदि

राजस्व प्रकरण संख्या–136/2011

25/3/21 पत्रावली पेश हुई। प्रतिवादी रामफूल की ओर से दिनांक–03.03.2021 को आपत्ती प्रा0 पत्र पेश किया गया जिसमे कथन किया गया कि विवादित आराजी भूमि के कुरेजात प्रार्थी की उपस्थिति में ही मनमानी तोर पर तैयार किये गये है। तथा उक्त भूमि में प्रार्थी को कम भूमि दी गई है। एवं उक्त भूमि में आवागमन हेतु कोई रास्ता दर्ज नहीं किया गया एवं प्रार्थना पत्र स्वीकार कर तहसीलदार लालसोट से पुनः कुरेजात बनवाने का अनुतोष चाहा गया है उक्त भूमि में आराजी का वादी पक्ष की ओर से जवाब पेश किया गया जिसमें कथन किया गया की माननीय अपीलीय न्यायालय द्वारा आपके आदेश – 17.12.2019 में अपीलार्थी को पुनः अपना पक्ष रखने का अवसर प्रदान करते हुए अंतिम डिक्री का आदेश दिया गया है एवं उक्त विभाजन माननीय राजस्व मण्डल के नियम 18 से 21 की पालना करते हुए ही कुरेजात तैयार किये गये है। इसमें कोई विधिक त्रुटि नहीं है। एवं उक्त विभाजन मौका स्थिति अनुसार ही किया गया है तथा यह भी कथन किया गया कि उक्त भूमि मुख्य बाईपास गौरव पथ पर ही स्थिति है जिसमें रास्ते का कथन करना गलत है क्योकि उक्त सम्पूर्ण भूमि ही मुख्य मार्ग पर स्थिति है। एवं जिस हिस्से में पेड स्थिति है वह हिस्सा प्रतिवादी को ही दिया गया है। तथा आपत्ति खारिज करते हुए मुताबिक कुरेजात अन्तिम डिक्री किये जाने का कथन किया गया। दौराने बहस प्रार्थी रामफुल की ओर से अपने प्रा0 पत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराते हुए आपत्ती स्वीकार करने निवेदन किया गया। जिसका विरोध करते हुए वादीगण अधिवक्ता द्वारा अपने जवाब में वर्णित तथ्यों को दौहराते हुए प्रा0 पत्र खारिज करने का कथन किया गया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया, बहस व पक्षकारान पर गौर व मनन किया माननीय न्यायालय द्वारा अपने आदेश दिनांक–17.12.2019 के द्वारा अधिनस्त न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रकरण रिमाण्ड किया गया कि अपीलार्थी को पुनः अपने पक्ष रखते हुए अन्तिम डिक्री पारित के आदेश दिये गये। तथा पत्रावली पूर्व में तहसीलदार लालसोट की ओर से प्रस्तुत कुरेजात पर गोर किया जावे तो उक्त कुरेजात के दोनों पक्षो का हिस्सा मुख्य सडक पर दिया गया है। जिसके अलग से रास्ता दिये जाने का कोई ओचित्य नहीं है। तथा रामफूल को खसरा न0–461/1 रकबा 3 बीघा 2 बिस्वा का भाग दिया गया है जिसमे ही पेड पौधे होना वादीगण अधिवक्ता द्वारा कथन किया गया तथा उक्त कुरेजात में ही खातेदार रामफूल पुत्र हजारी द्वारा हस्ताक्षर करने से मना करने का अंकन है दिनांक– 26.04.2017 से ही स्पष्ट है कि तहसीलदार लालसोट की ओर से प्रस्तुत कुरेजात उभयपक्षो द्वारा सहमती दिये जाने का अंकन है वादीगण अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस के समर्थन में

2018(2) **RRT Page 1347**

पेश किया गया जिसका सम्मानपूर्वक अवलोकन किया गया इस प्रकार उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थी रामफुल की ओर से प्रस्तुत आपत्ती सारहीन होना प्रतीत होने से खारिज किया जाता है व इस न्यायालय द्वारा दि0– 26.04.2017 को पारित निर्णय व अन्तिम डिक्री यथावत रखा जाता है। अन्तिम डिक्री जारी हो।

उपखण्ड अधिकारी
लालसोट जिला दौसा (राज.)

निर्णय आज दिनांक– 25.03.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया पत्रावली फैसल होकर नम्बर से कम होकर दफ्तर दाखिल हो।

उपखण्ड अधिकारी
लालसोट